

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुरस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	प्रस्तावित प्रस्ताव रकबा 201.079 हेक्टेयर वन भूमि कोयला खनिज भूमिगत उत्खनन कार्य का वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा क्षेत्र, बैतूल के पुनर्विचार प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्यप्रदेश का अभिमत प्राप्त कर प्रस्ताव स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	---

तिथि: 08.12.2016

स्थान: भोपाल


 (सुनील अप्पवाल)
 भा.व.से.
 अप्पवाल मुख्य वन संरक्षक (म.प्र.प्रदेश)
 मध्यप्रदेश, भोपाल